फाईल सं. 42/12/2009-पी एंड पी.डब्ल्यू(जी.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-03
दिनांक: 23 सितम्बर, 2009.

# कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दिया जाना - 1.7.2009 से संशोधित दर लागू ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27 मार्च, 2009 के का.ज्ञा. संख्या-42/12/2009-पी.एंड पी. डब्ल्यू(जी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों का देय महंगाई राहत एक जुलाई, 2009 से 22 प्रतिशत की मौजूदा दर से बढ़कर 27 प्रतिशत हो जाएगी ।

2. ये आदेश (i) केन्द्र सरकार के सभी सिविल पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशभोगियों (ii) सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, रक्षा सेवा आकलन से पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनभोगियों (iii) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों (iv) रेलवे पेंशनभोगियों और (v) बर्मा के सिविल पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों और पाकिस्तान के पेंशनभोगियों/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगियों के परिवारों, जो भारतीय राष्ट्रीयक हैं और पाकिस्तान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जो इस विभाग के दिनांक 15.9.2008 के का.ज्ञा. संख्या-23/3/2008-पी एंड पी.डब्ल्यू(बी.) के साथ पठित दिनांक 23.2.1998 के का.ज्ञा. संख्या-23/1/97-पीएंडपी.डब्ल्यू(बी.) के अनुसार 3500/- रुपये प्रतिमास की दर से तदर्थ अनुग्रह भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ।

3. केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में संविलयन के पश्चात् एकमुश्त राशि आहरित कर ली थी और वे इस विभाग के दिनांक 14.07.1998 के का.ज्ञा. संख्या-4/59/97-पी.एंड पी.डब्ल्यू(डी.) के अनुसार, पेंशन के 1/3 संराशिकृत भाग की बहाली और बहालीकृत राशि में संशोधन करवाए जाने के पात्र हो गए हैं, वे दिनांक 14.7.98 के का.ज्ञा. के पैरा-5 में विहित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन पूरी पेंशन अर्थात् वह संशोधित पेंशन, जो संविलियत कर्मचारी ने बहाली की तारीख को प्राप्त की होती यदि उसने संविलयन पर एकमुश्त राशि आहरित नहीं की होती,

और महंगाई पेंशन पर 1.7.2009 से 27 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत के भुगतान के भी हकदार होंगे । इस सम्बन्ध में इस विभाग के दिनांक 12.7.2000 के का.ज्ञा. संख्या-4/29/99-पीएंडपीडब्ल्यू(डी.) का संदर्भ लें ।

4. महंगाई राहत को भुगतान करते समय रुपये के हिस्से को अगले रुपये तक बराबर कर दिया जाएगा ।

5. नियोजित कुटुम्ब पेंशनभोगियों और पुन:नियोजित केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों के सम्बन्ध में महंगाई राहत दिए जाने को शासित करने वाले अन्य प्रावधान, इस विभाग के दिनांक 9 जुलाई, 2009 के का.ज्ञा. संख्या-एफ.38/88/2008-पीएंडपीडब्ल्यू(जी.) द्वारा यथासंशोधित इस विभाग के दिनांक 2.7.1999 के का.ज्ञा. संख्या-45/73/97-पीएंडपीडब्ल्यू(जी.) में विहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे । जहां पेंशनभागी एक से अधिक पेंशन ले रहा है, उनके सम्बन्ध में महंगाई राहत के विनियमन से सम्बन्धित प्रावधान अपरिवर्तित रहेगें ।

6. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे ।

7. राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन वितरण प्राधिकारियों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे प्रत्येक पेंशनभोगी के मामले में देय महंगाई राहत की धनराशि की गणना करें ।

8. महालेखाकार के कार्यालयों और प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से यह अनुरोध है कि वे, सभी महालेखाकारों को सम्बोधित, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के दिनांक 23.4.81 के पत्र संख्या-528-टीए, ।।/34-80-।। और भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों को और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 को भेजे गए परिपत्र संख्या-जी.ए.एन.बी.संख्या–2958/जी.ए.-64(ii)(सी.जी.एल.)/81 के मद्देनज़र भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से और भारतीय रिज़र्व बैंक से आगे के अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों इत्यादि को राहत के भुगतान की व्यवस्था करें ।

9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से सम्बन्धित पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों पर इन आदेशों को लागू करने के सम्बन्ध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

10. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 23.09.2009 के यू.ओ. संख्या-334/ई.वी./2009 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जाता है ।

(राज सिंह)
निदेशक

सेवा में,

**भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और महालेखाकार ।**

*कृपया उपर्युक्त आदेशों सहित पेंशन मामलों के आदेशों के लिए http/persmin.nic.in/pension देखें ।*